

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

जनपद एटा में मथुरा-सादाबाद-जलेसर-अवागढ़ मार्ग (S.H.-122NEW) किमी. 70 (चैनेज-69.411) के खसरा संख्या 1378 स, ग्राम जलेसर बहार चुंगी, तहसील जलेसर की बायीं पटरी पर (बी.पी.सी.एल.) मथुरा द्वारा न्यू रिटेल आउट-लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0486790 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

➤	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	cf. 3/10/21 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृता संस्तुति की जाती है।
➤	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	

हस्ताक्षर :-

18

Anupam Gupta

नाम :-

Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

सरकारी मुहर :-

तिथि :- 4/10/21

दिनांक :-